आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या-11/2016-469 /चौदह-4-2016-508/2012 टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक, 02 मार्च,2016**

विषयः वित्तीय वर्ष-2014-15 में "दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण" योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष रू0 4.35 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-919/36-टी-93 दिनांक 04 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में "दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण" योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष रू0 4.35 लाख (रू0 चार लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक	वर्ष 2015-16 में उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान	वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या-60		
पूंजी लेखा-		
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
110-वन्य जीव-		
07-दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गो का सुदृढ़ीकरण-		
24-वृहत निर्माण कार्य	4000	435
42-अन्य व्यय	1000	-

http://shasanadesh.up.nic.in

योग:-	**5000**	**435**

(रू0 चार लाख पैंतीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

5- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 04.02.2016 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग- 1के कार्यालय ज्ञाप संख्या-दस/925-1-बी/2015/2-2015/231-2015दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-469(1)/चौदह-4-2016-508/2012 टीसी तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दि्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- नियोजन अनुभाग-3
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in